

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली

न्यूकलेक्टोरेटमवन, कक्ष क्र० 221 / 226 जिला—मुंगेली (छोगो)
फोन नं०—07755-264122 ईमेल—actdmungeli@gmail.com

क्रमांक / च.श्रे.स्था. / 2023-24 / 1039 / मुंगेली, दिनांक 21/5/2023

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

जिला मुंगेली अंतर्गत संचालित कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास विभाग)
मुंगेली मे चतुर्थ श्रेणी पदो के भर्ती के संबंध मे

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छोगो) के पत्र क्रं./सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08.05.2023 से कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मुंगेली मे चतुर्थ श्रेणी नियमित मृत्यु के पदो को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारो से दिनांक 29.05.2023 कार्यालयीन समय तक निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सीधी भर्ती के प्राप्त अनुमति अनुसार 03 रिक्त पदो का आरक्षण नियम अनुरूप विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	पदनाम	वर्ग	मुक्त	योग्य
1	2	3	4	7
1	चतुर्थ श्रेणी नियमित मृत्यु	अनारक्षित	01	01
		अ.ज.जा.	01	01
		अ.जा.	01	01
योग :-		03	03	

चतुर्थ श्रेणी नियमित मृत्यु पद के लिए आवश्यक अहंताएं एवं शर्तें :-

1. वेतनमान :— नियमित मृत्यु स्थापना के अंतर्गत वेतनमान ₹० 15600-49400 लेवल-1 के अंतर्गत 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि मे रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि मे निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :—

- प्रथम वर्ष—उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
- द्वितीय वर्ष— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
- तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि मे स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

2. शैक्षणिक योग्यताएः :— चतुर्थ श्रेणी नियमित मृत्यु स्थापना पद हेतु छोगोशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 5वीं) उत्तर्णी हो, यदि अभ्यार्थी पांचवीं कक्षा मे जनरल प्रमोशन से उत्तीर्ण हो तो जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा अभिप्रमाणित पांचवीं कक्षा के आंतरिक मुल्यांकन की सूचि अनिवार्यतः जमा करना होगा उक्त अंक तालिका प्राप्त नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दी जावेगी। प्राप्तांक के आधार पर गणना की जावेगी।

3. आयु :— 1. आवेदक/आवेदिका की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष की होनी चाहिये आयु सीमा के संबंध मे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश ही लागू होंगे।

क्रमशः.....02.....

2. यदि आवेदक ४०गोशासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/जन जाति हो कर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चत्तर आयु सीमा मे ०५ वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इन आवेदकों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओं को नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) 1997 के नियम ०४ के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी को उच्चतर आयु सीमा मे अधिकतम १० वर्ष तक की छूट होगी।
4. ऐसे आवेदक जो छटनी किये गये सरकारी सेवक हो। अपनी आयु मे से उसके द्वारा पूर्व मे की गई सम्पूर्ण अरथायी सेवा की अधिक से अधिक ०७ वर्ष तक की कालावधि भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु सीमा ०३ वर्ष से अधिक ना हो। छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है— जो इस राज्य अर्थात् छ.ग.राज्य (या किसी भी संगठक ईकाई की अरथायी सेवा मे लगातार कम से कम ४: माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय मे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा मे नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक ०३ वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।)
5. ऐसे आवेदक जो भूत पूर्व सैनिक हो अपने आयु मे से इसके द्वारा पहले से कि गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने कि अनुमति दी जावेगी, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु सीमा से ०३ वर्ष से अधिक न हो।
6. स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले मे उच्चत्तर आयु सीमा मे उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा को उतने कालावधि तक छूट ०८ वर्ष की सीमा के अध्ययाधीन रहते हुये की जावेगी, किन्तु किभी भी दशा मे उनकी आयु ३८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा मे ०५ वर्ष की छूट दी जावेगी।
8. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा मे १० वर्ष की छूट दी जावेगी।
9. कैलेण्डर वर्ष २०२३ मे की जा रही भर्ती के अंतर्गत ४०गो के स्थानीय निवासियों के अभ्यार्थियों को ०५ वर्ष की छूट केवल एक बार के लिए देय होगी।
10. किसी भी उम्मीदार को उपरोक्तानुसार किसभी भी आधार पर एक या एक से अधिक आधारपर छूट को लाभ दिये जाने के बावजूद भी शासकीय सेवा मे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा ४५ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. कैडर एवं आरक्षण :— चतुर्थ श्रेणी नियमित भूत्य स्थापना कर्मचारी का कैडर जिला स्तरीय होगा। आरक्षण का निर्धारण भी जिला स्तरीय होगा। विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। किसी श्रेणी के उपयुक्त महिला अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा मे उस श्रेणी के पद पुरुष अभ्यार्थी से भरे जावेंगे।
 2. जारी विज्ञापन के रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

5. रोजगार कार्यालय पंजीयन :— अभ्यार्थी का रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना चाहिए।
6. अभ्यार्थी को ७०००राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
7. आवेदक द्वारा लिफाफे मे आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट अक्षरो मे लिखा होना चाहिए।
8. अभ्यार्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाया जाता है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

10. चयन प्रक्रिया :—

1. **आवेदन पत्रो की प्राप्ति** :— अभ्यार्थी का निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त प्रमाण पत्रो की सत्यापित छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि समय सायं 5.00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मुंगेली कक्ष क्रं. 221/226 मे पंजीयन डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें। अपूर्ण एवं निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न नही होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा। जिसमे किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जावेगी। आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यार्थी को फोटो स्वप्रमाणित कर संलग्न किया जावे।
2. **आवेदन पत्रो का परीक्षण** :— प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो का परीक्षण एवं मूल्यांकन जिला रत्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के सदस्यो का नामांकन कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा आवेदन पत्रो के परीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात् वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची का प्रकाशन पश्चात् कार्यालय के सूचना पटल मे चर्चा किया जावेगा। इस पर दावे आपत्ति 10 दिनो मे प्राप्त किये जावेगें। प्राप्त दावे/आपत्ति का परीक्षण समिति द्वारा किया जावेगा तथा अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(ब) **चयन हेतु निम्नलिखित अंक होगा** :— शैक्षणिक योग्यता कक्षा ५वी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरियता निर्धारण कर नियुक्ति की जावेगी।

11. **चतुर्थ श्रेणी नियमित भूत्य स्थापना के कार्य/दायित्व** :— चतुर्थ श्रेणी भूत्य का मुख्य कार्य कार्यालय मे साफ-सफाई करना एवं व्यवस्था बनाए रखना है एवं इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशो का पालन करना होगा।
12. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि यह विज्ञापन मे दिये गये निर्देशो तथा आवेदन पत्र की सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र मे कोई जानकारी अपूर्णता अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि या अपूर्ण आधार पर प्राप्त आवेदन को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध सेवा समाप्ति/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

13. इस संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा-4,5 एवं 6 निम्नानुसार है :—
4. We therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.
 5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.
 6. All appointment and promotion orders shall specifically mention that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.
15. यह नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया मे माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रं. /19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

कलेक्टर

झजिला—मुंगेली (छ0ग0)

/मुंगेली, दिनांक (21/5/2023)

पृ. क्रमांक / च.श्रे.स्था. / 2023-24 /

1040

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
5. जिला रोजगार अधिकारी जिला मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर

झजिला—मुंगेली (छ0ग0)

प्रति,

आवेदन पत्र का प्रारूप
चतुर्थ श्रेणी नियमति मृत्यु पद हेतु आवेदन पत्र

कलेक्टर,
 आदिवासी विकास (न्यू कलेक्टोरेट
 भवन कक्ष क्र. 221 / 226) मुंगेली (छ.ग.)



1. आवेदित पद का नाम :—
 2. आवेदक का नाम :—
 3. पिता/पति का नाम :—
 4. जन्म तिथि (अंको में) :— दिनांक..... माह..... वर्ष.....
 5. आयु (01.01.2023) को :— वर्ष..... माह..... दिन.....
 6. जन्म स्थान :—
 7. (अ) स्थायी पता :—
 - (ब) वर्तमान पता :—
 - (पत्र व्यवहार हेतु)
 8. राष्ट्रीयता :—
 9. जाति/वर्ग :—
- (अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अनारक्षित)
- जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत है :— (आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. शैक्षणिक अहंता (पद के न्यूनतम योग्यता से शुरू करें।)

क्र.	बोर्ड/संस्था का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

// 02 //

11. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण (यदि हो)	:-
12. (क) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (ख) रोजगार कार्यालय का नाम	:-
13. क्या आप विकलांक हैं	:- हॉ/नहीं (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं	:- हॉ/नहीं (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
15. क्या आप ४०५०के निवासी हैं	:- हॉ/नहीं (हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
16. संलग्नकों की सूची :-	
01	02
03	04
05	06
07	08
09	10

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)
पूरा नाम—.....
पत्र व्यवहार का पूरा पता.....

:-घोषणा पत्र:-

मै..... घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र मे दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है। आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है, कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिए मुरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है।

स्थान :—

दिनांक :—

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)
पूरा नाम—.....
पत्र व्यवहार का पूरा पता.....